भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और उद्यम मध्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *43

उत्तर देने की तारीख 28.11.2024

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राजसहायता

*43. **श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:**
श्री प्रताप चंद्र षडंगी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान गुजरात, कर्नाटक, गुवाहाटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित असम तथा भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित हरियाणा में और राज्य-वार कितनी परियोजनाओं की स्थापना की गई है तथा कुल कितनी राजसहायता राशि संवितरित की गई ;

(ख) देश में इन परियोजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार के अवसरों का राज्य-वार और श्रेणी-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस कार्यक्रम के तहत स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की सफलता की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने के लिए भिवानी-महेंद्रगढ़ सहित हरियाणा में और राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) स्थानीय रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में इन सूक्ष्म उद्यमों की वृद्धि और उनके विकास में सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट पहल की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन और इसके तहत परियोजनाओं की सुचारू स्थापना के लिए ऋण प्रदान करने हेतु बैंकिग क्षेत्र को कोई विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश भर में इस कार्यक्रम के तहत संस्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का असम सहित राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त अवधि के दौरान असम राज्य में इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला-वार कितने सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्राप्त हुई है और

(ज) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के तहत असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषत: वहां की महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (ज): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *43 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान गुजरात, कर्नाटक, असम, गुवाहाटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा, भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या और संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) अनुदान सहायता (सब्सिडी) की कुल राशि **अनुबंध -I** में दी गई है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में पीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित किए गए रोजगार अवसरों का राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की सफलता की निगरानी और मूल्यांकन के उपाय निम्नानुसार हैं:

i. लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी सब्सिडी के समायोजन तक आवेदन की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक समर्पित पीएमईजीपी पोर्टल मौजूद है।
ii. पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म उद्यमों के वास्तविक सत्यापन के लिए एक तंत्र, जिसमें इनकी वास्तविक स्थापना और कार्यशील स्थिति की जियो-टैगिंग की जाएगी।
iii. ऋणों की उपयुक्त संस्वीकृति और मार्जिन मनी के संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख बैंकों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
iv. कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) अर्थात केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी और कयर बोर्ड के राज्य कार्यालयों और वित्तीय संस्थानों के साथ समय-समय पर आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।
v. स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) द्वारा बैठकें।
vi. पीएमईजीपी इकाइयों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर तृतीयक पक्ष की एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन अध्ययन।

(घ) पीएमईजीपी के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों की वृद्धि, विकास और **संपोषण** को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए इसे 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
ii. उच्चतर सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को शामिल करना।
iii. पिछड़े और खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
iv. दूसरे ऋण वित्तांश के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों की लाभप्रदता पर विचार करते हुए कोविड वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 को छूट दी गई है।
v. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) का आयोजन किया जा रहा है।
vi. जनवरी 2024 से, 11 क्षेत्रीय भाषाओं में संभावित लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

(ङ) पीएमईजीपी के अंतर्गत संस्वीकृत ऋणों सहित एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह में सुधार के लिए बैंकों को आरबीआई द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश:

i. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

ii. संपार्श्विक आवश्यकताएं: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) क्षेत्र में इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋण के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है।

iii. ऋण निर्णयों के लिए समयसीमा: एमएसई ऋण-ग्राहियों में इकाइयों को 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, बैंकों को सलाह दी गई है कि ऋण निर्णयों की समयसीमा 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(च) पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसलिए बजट का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। निधियों का उपयोग सृजित मांग और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋणों के आधार पर किया जाता है। विगत तीन वर्षों से असम पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(छ) विगत तीन वर्षों से पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत असम राज्य में सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की जिला-वार संख्या **अनुबंध -IV** में दी गई है।

(ज) इस स्कीम के अंतर्गत असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे अतिरिक्त कदमों में शामिल हैं:

i. असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों को विशेष श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है, जबकि सामान्य श्रेणी के मामले में यह क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% है।

ii. पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान परियोजना लागत का 5% है, जबकि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान 10% है।

iii. बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन और विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपये तक की दूसरी ऋण वित्तांश प्रदान की जा रही है, जिसमें अन्य क्षेत्रों के लिए 15% की तुलना में पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20% की सब्सिडी दी जा रही है।

iv. पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन कार्यकलापों के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं की संख्या पर 10% की अधिकतम सीमा है।

v. एक विशेष मामले के रूप में, सुअर पालन, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है, को केवल पूर्वोत्तर राज्यों में ही अनुमति दी गई है।

विगत तीन वर्षों से पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता प्राप्त इकाइयों और असम तथा पूर्वोत्तर में महिलाओं द्वारा स्थापित इकाइयों का ब्यौरा **अनुबंध -V** में दिया गया है।

****

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *43 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I:

वित्तीय वर्ष 2024-25 (25.11.2024 तक) के दौरान देश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी की कुल राशि नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार	14	0.17
2	आंध्र प्रदेश	1,923	97.91
3	अरुणाचल प्रदेश	67	3.95
4	**असम**	**1,308**	**37.20**
5	बिहार	2,022	47.27
6	चंडीगढ़	-	-
7	छत्तीसगढ़	922	25.58
8	दादरा नगर हवेली	1	0.04
9	दमन और दीव	3	0.08
10	दिल्ली	16	1.12
11	गोवा	19	0.85
12	**गुजरात**	**1,061**	**127.41**
13	**हरियाणा**	**428**	**21.17**
14	हिमाचल प्रदेश	336	13.40
15	जम्मू कश्मीर	2,883	90.78
16	झारखंड	242	3.90
17	**कर्नाटक**	**1,371**	**41.93**
18	केरल	1,041	25.39
19	लद्दाख	33	1.61
20	लक्षद्वीप	-	-
21	मध्य प्रदेश	1,360	32.87
22	महाराष्ट्र	808	51.74
23	मणिपुर	284	6.38
24	मेघालय	291	6.58
25	मिजोरम	185	7.34
26	नागालैंड	498	19.14
27	ओडिशा	854	20.38
28	पुदुचेरी	23	0.63
29	पंजाब	562	45.92
30	राजस्थान	489	40.94
31	सिक्किम	58	1.58
32	तमिलनाडु	1,556	48.91
33	तेलंगाना	796	35.15
34	त्रिपुरा	255	6.38
35	उत्तर प्रदेश	3,368	129.49
36	उत्तराखंड	426	11.62
37	पश्चिम बंगाल	573	21.96
कुल		**26,076**	**1,026.76**

वित्तीय वर्ष 2024-25 (25.11.2024 तक) के दौरान गुवाहाटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं की संख्या और संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी की कुल राशि नीचे दी गई है:

	जिला/शहर	**स्थापित परियोजनाओं की संख्या**	**संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)**
1.	गुवाहाटी - शहर	56	165.31
2.	भिवानी	25	141.44
3.	महेंद्रगढ़	28	112.28

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *43 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध -II:

वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार अनुमानित रोजगार सृजन (25.11.2024 तक) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	सामान्य		अल्पसंख्यक		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		कुल	
		परियोजनाओं की सं.	अनुमानित रोजगार	परियोजनाओं की सं.	अनुमानित रोजगार	परियोजनाओं की सं.	अनुमानित रोजगार	परियोजनाओं की सं.	अनुमानित रोजगार	परियोजनाओं की सं.	अनुमानित रोजगार	परियोजनाओं की सं.	अनुमानित रोजगार
1	अंडमान निकोबार	9	72	0	0	4	32	0	0	1	8	14	112
2	आंध्र प्रदेश	611	4888	8	64	639	5112	576	4608	89	712	1923	15384
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	8	0	0	2	16	64	512	67	536
4	असम	890	7120	4	32	193	1544	64	512	157	1256	1308	10464
5	बिहार	402	3216	50	400	1217	9736	330	2640	23	184	2022	16176
6	छत्तीसगढ़	277	2216	21	168	388	3104	132	1056	104	832	922	7376
7	दादरा नगर हवेली	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
8	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	3	24	0	0	3	24
9	दिल्ली	7	56	0	0	7	56	2	16	0	0	16	128
10	गोवा	14	112	2	16	3	24	0	0	0	0	19	152
11	गुजरात	749	5992	29	232	170	1360	81	648	32	256	1061	8488
12	हरियाणा	215	1720	2	16	121	968	90	720	0	0	428	3424
13	हिमाचल प्रदेश	134	1072	5	40	22	176	135	1080	40	320	336	2688
14	जम्मू कश्मीर	470	3760	1961	15688	49	392	308	2464	95	760	2883	23064
15	झारखंड	65	520	1	8	37	296	61	488	78	624	242	1936
16	कर्नाटक	87	696	104	832	643	5144	407	3256	130	1040	1371	10968
17	केरल	169	1352	120	960	592	4736	148	1184	12	96	1041	8328
18	लद्दाख	1	8	0	0	0	0	0	0	32	256	33	264
19	मध्य प्रदेश	354	2832	20	160	561	4488	291	2328	134	1072	1360	10880
20	महाराष्ट्र	327	2616	15	120	295	2360	128	1024	43	344	808	6464
21	मणिपुर	173	1384	3	24	7	56	4	32	97	776	284	2272
22	मेघालय	16	128	0	0	0	0	2	16	273	2184	291	2328
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	1	8	184	1472	185	1480
24	नागालैंड	2	16	0	0	0	0	0	0	496	3968	498	3984
25	ओडिशा	440	3520	7	56	169	1352	169	1352	69	552	854	6832
26	पुदुचेरी	0	0	0	0	16	128	6	48	1	8	23	184
27	पंजाब	378	3024	9	72	65	520	110	880	0	0	562	4496
28	राजस्थान	135	1080	13	104	238	1904	49	392	54	432	489	3912
29	सिक्किम	13	104	0	0	16	128	5	40	24	192	58	464
30	तमिलनाडु	222	1776	33	264	809	6472	458	3664	34	272	1556	12448
31	तेलंगाना	115	920	15	120	367	2936	144	1152	155	1240	796	6368
32	त्रिपुरा	105	840	10	80	45	360	36	288	59	472	255	2040
33	उत्तर प्रदेश	769	6152	92	736	1819	14552	670	5360	18	144	3368	26944
34	उत्तराखंड	259	2072	5	40	70	560	79	632	13	104	426	3408
35	पश्चिम बंगाल	295	2360	56	448	88	704	126	1008	8	64	573	4584
	सकल योग	**7704**	**61632**	**2586**	**20688**	**8650**	**69200**	**4617**	**36936**	**2519**	**20152**	**26076**	**208608**

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *43 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III:

विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष से (दिनांक 25.11.2024 तक) पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रयुक्त निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(मार्जिन मनी: रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान निकोबार	238.69	202.92	134.35	17.35
2	आंध्र प्रदेश	10088.8	12929.93	17199.84	9790.71
3	अरुणाचल प्रदेश	788.88	701.26	1764.81	394.83
4	असम	6659.71	5954.2	6406.26	3719.78
5	बिहार	8169.92	12123.2	19175.75	4726.63
6	चंडीगढ़	62.08	44.53	22.19	0
7	छत्तीसगढ़	6941.44	7492.77	7625.32	2557.77
8	दिल्ली	315.23	471.11	334.32	112.08
9	गोवा	298.22	291.08	322.7	84.53
10	गुजरात*	28704.84	24182.62	32124.58	12749.56
11	हरियाणा	6093.33	6319.98	7325.23	2117.35
12	हिमाचल प्रदेश	3550.95	3149.58	3647.92	1339.53
13	जम्मू कश्मीर	46713.54	23993.89	28249.88	9078.33
14	झारखंड	4188.27	4837.65	5123.27	390.2
15	कर्नाटक	15843.36	16154.42	15862.48	4193.18
16	केरल	6859.29	7329.23	7881.81	2539.04
17	लद्दाख	1182.31	376.09	584.66	161.06
18	लक्षद्वीप	17.5	2.49	0	0
19	मध्य प्रदेश	20961.46	18129.7	18521.49	3287.24
20	महाराष्ट्र**	13018.54	13203.32	12204.7	5177.48
21	मणिपुर	3337.25	1462.51	810.72	638.45
22	मेघालय	974.17	665.74	725.03	657.96
23	मिजोरम	1461.76	1353.86	1755.33	733.55
24	नागालैंड	2494.89	1535.13	2917.65	1913.66
25	ओडिशा	11335.95	10731.75	9354.84	2038.07
26	पुदुचेरी	144.3	65.56	97.44	62.94
27	पंजाब	6017.86	7250.62	9087.81	4591.82
28	राजस्थान	9025.6	11418.57	12406.43	4094.29
29	सिक्किम	214.27	131.46	449.18	157.87
30	तमिलनाडु	16445.76	17891.66	19871.81	4891.34
31	तेलंगाना	9846.14	10225.11	10811.78	3514.96
32	त्रिपुरा	2083.7	1689.01	1444.21	641.37
33	उत्तर प्रदेश	41165.07	37865.82	43528.99	12945.5
34	उत्तराखंड	3983.2	4631.73	4191.68	1162.19
35	पश्चिम बंगाल	8539.63	7408.96	7423.17	2195.73
कुल		297765.91	272217.46	309387.63	102676.35

**** दमन और दीव सहित ** दादरा नागर और हवेली सहित***

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *43 के भाग (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध -IV:

क्र..सं.	जिला	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	बजाली	0	6	49	15
2	बक्सा	109	34	67	35
3	बारपेटा	409	319	205	125
4	बिश्वनाथ	45	36	17	13
5	बोंगईगांव	79	43	54	36
6	कछार	176	102	106	63
7	चराइदेव	31	10	5	7
8	चिरांग	42	36	31	28
9	दरांग	107	52	60	21
10	धेमाजी	146	96	73	21
11	धुबरी	274	112	94	67
12	डिब्रूगढ़	161	145	136	42
13	दीमा हसाओ	38	36	28	10
14	गोलपाड़ा	74	26	30	21
15	गोलाघाट	113	34	51	15
16	हैलाकांडी	159	89	145	62
17	होजाई	76	73	46	7
18	जोरहाट	90	54	50	30
19	कामरूप	137	217	143	94
20	कामरूप महानगर	150	122	146	91
21	कार्बी आंगलोंग	82	47	43	22
22	करीमगंज	132	52	44	22
23	कोकराझार	137	89	77	34
24	लखीमपुर	114	82	90	41
25	माजुली	31	27	15	19
26	मोरीगांव	59	39	32	44
27	नगांव	161	131	136	107
28	नलबाड़ी	129	62	53	34
29	उत्तरी कछार पहाड़ियाँ	0	0	1	0
30	शिवसागर	158	115	84	47
31	सोनापुर	95	93	113	53
32	दक्षिण सलमारा - मनकाचर	23	29	14	1
33	तिनसुकिया	214	144	158	68
34	उदलगुड़ी	104	42	19	11
35	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	0	2	2	2
	कुल	**3,855**	**2,596**	**2,417**	**1,308**

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *43 के भाग (ज) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध -V:

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 25.11.2024 तक) के दौरान पूर्वोत्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता प्राप्त पीएमईजीपी इकाइयों की संख्या:

क्र. सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
1	सिक्किम	77	616	55	440	97	776	51	408
2	अरुणाचल प्रदेश	187	1496	149	1192	159	1272	54	432
3	नागालैंड	1027	8216	402	3216	407	3256	405	3240
4	मणिपुर	976	7808	462	3696	285	2280	234	1872
5	मिजोरम	539	4312	292	2336	284	2272	146	1168
6	त्रिपुरा	801	6408	599	4792	469	3752	194	1552
7	मेघालय	679	5432	293	2344	252	2016	256	2048
8	असम	3276	26208	2165	17320	1954	15632	1093	8744
	कुल	**7562**	**60496**	**4417**	**35336**	**3907**	**31256**	**2433**	**19464**

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 25.11.2024 तक) के दौरान स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा स्थापित पीएमईजीपी इकाइयों की संख्या:

क्र. सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
1	सिक्किम	33	264	22	176	68	544	30	240
2	अरुणाचल प्रदेश	84	672	70	560	78	624	32	256
3	नागालैंड	535	4280	196	1568	244	1952	231	1848
4	मणिपुर	552	4416	244	1952	153	1224	132	1056
5	मिजोरम	333	2664	195	1560	194	1552	97	776
6	त्रिपुरा	260	2080	165	1320	152	1216	85	680
7	मेघालय	283	2264	121	968	103	824	130	1040
8	असम	1272	10176	907	7256	761	6088	450	3600
	कुल	**3352**	**26816**	**1920**	**15360**	**1753**	**14024**	**1187**	**9496**